



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35]

नई दिल्ली, अगस्त 25—अगस्त 31, 2019, शनिवार/भाद्र 3—भाद्र 9, 1941

No. 35]

NEW DELHI, AUGUST 25—AUGUST 31, 2019, SATURDAY/BHADRA 3—BHADRA—9, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

का.आ.1532.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अतानु चक्रवर्ती, सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री सुभाष चन्द्र गर्ग के स्थान पर, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 29th July, 2019

S.O. 1532.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government hereby nominates Shri Atanu Chakraborty, Secretary, Government of

India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, as Director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Subhash Chandra Garg.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2019

का.आ. 1534.—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 19 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री दिनेश कुमार खारा (जन्म तिथि: 28.8.1961), प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यकाल को दिनांक 9.8.2019 से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा. सं. 2/1/2016-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2019

S.O. 1534.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 19 read with sub-section (1) of section 20 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government, hereby extends the term of office of Shri Dinesh Kumar Khara (date of birth: 28.8.1961), Managing Director, State Bank of India for a further period of two years with effect from 9.8.2019, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2016-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2019

का.आ. 1535.— बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पंकज जैन (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री रवि मित्तल के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (खंड-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2019

S.O. 1535.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Pankaj Jain (Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Directors of Punjab National Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Ravi Mital.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2019

का.आ. 1536.— भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 19 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री रवि मित्तल (विशेष सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री राजीव कुमार के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 6/3/2012-बीओ-I (खंड-II)]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 8th August, 2019

S.O. 1536.— In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 19 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Government hereby nominates Shri Ravi Mital (Special Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Central Board of Directors of State Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Rajiv Kumar.

[F. No. 6/3/2012-BO-I (Vol. II)]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2019

का.आ. 1537.— राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थान पर कालम (1) में विनिर्दिष्ट बैंकों के बोर्ड में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, निदेशक के रूप में नामित करती है:-

	(1)	(2)	(3)
1.	बैंक आफ इंडिया	श्री एस. सी. मुर्मू	श्री सुब्रत दास (जन्म तिथि: 21.7.1963)
2.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	सुश्री साधना वर्मा	श्री राजेश कुमार (जन्म तिथि: 26.9.1965)
3.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री निर्मल चन्द	सुश्री रीनी अजिथ (जन्म तिथि: 29.4.1968)
4.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री जी. श्रीकुमार	श्री एम. के. वर्मा (जन्म तिथि: 3.1.1957)

[फा. सं. 6/3/2011-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 13th August, 2019

S.O. 1537.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates the persons specified in column (3) of the table below as Director on the Board of the Banks specified in column (1) thereof, in place of the persons specified in column (2) of the said table, with immediate effect and until further orders:-

	(1)	(2)	(3)
1.	Bank of India	Shri S. C. Murmu	Shri Subrata Das (Date of birth: 21.7.1963)
2.	United Bank of India	Ms Sadhana Varma	Shri Rajesh Kumar (Date of birth: 26.9.1965)
3.	Indian Overseas Bank	Shri Nirmal Chand	Ms Reeny Ajith (Date of birth: 29.4.1968)
4.	Bank of Maharashtra	Shri G. Sreekumar	Shri M. K. Verma (Date of birth: 3.1.1957)

[F. No. 6/3/2011-BO-1]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.